एसओपी सं.13

फा.सं.3/42/2013-एसडी/एएम

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

सूत्रधार प्रभाग

स्थापना अनुभाग

दिनांक : 11 दिसंबर, 2014

संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ विद्वानों आदि के साथ सहयोग संबंधी मानक कार्य-विधि (एसओपी)

1. प्रस्तावना

(i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भारतीय कला और संस्कृति के क्षेत्र में ज्ञान संबंधी अनुसंधान कार्य करने, उसका प्रलेखन करने और प्रसार करने का दायित्व सौंपा गया है। घोषणा विलेख के उद्देश्यों में बताया गया है इसका उद्देश्य (क) वास्तुविद और साहित्य से, संगीत, नृत्य, रंगमंच, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी, फिल्म, मिट्टी के बर्तन, कठपुतली, बुनाई, कसीदाकारी आदि से संबंधित विविध कलाओं के संबंध में सृजनात्मक और रचनात्मक संवाद के लिए मंच तैयार करना है। यह मंच प्रदर्शन, प्रदर्शनी, मल्टी मीडिया प्रोजेक्शंस, सम्मेलन, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा; और (ख) कला और संस्कृति के अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के साथ संपर्क करना और विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं के साथ संबद्ध होना है।

(ii) उपर्युक्त बातों के कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह कला और संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत अन्य संस्थाओं और विद्वानों के साथ सहयोग करे। कुछ विशिष्ट क्षेत्र के सहयोगकर्ताओं का चयन करने से वे सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली प्रक्रियाओं से स्वयं नहीं जुड़ सकती हैं क्योंकि ये कार्यक्रम और परियोजनाएं अनुसंधान आधारित हैं और प्राय: सहयोगकर्ताओं के चयन के बाद इनका विकास किया जाता है ताकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और सहयोगकर्ता (सहयोगकर्ताओं) दोनों की आवश्यक विशेषज्ञताओं को एकसाथ लाया जा सके।

(iii) आवश्यक पारदर्शिता लाने और उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि संस्थाओं और विद्वानों के साथ सहयोग की प्रक्रिया के संबंध में एसओपी तैयार किया जाए।

2. <u>ऐसी संस्थाओं/व्यक्तियों में, जिनके साथ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सहयोग करेगा, निम्नलिखित शामिल होंगें:</u>

(i) प्रस्तावित सहयोग के संगत ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली सरकारी संस्थाएं (जो राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्रक उपक्रम, स्वायत्त संगठन, आदि हो सकती हैं।

(ii) प्रस्तावित सहयोग के संगत ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली विधिवत पंजीकृत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार के विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय।

(iii) ऐसे अलग-अलग विद्वान, जिन्हें संगत ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(iv) उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं किया गया कोई अन्य संगठन/ व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य किया हो और जिसे सहयोग के ज्ञान के क्षेत्र में संगत अनुभव हो।

3. <u>सहयोग के क्षेत्र</u>:

सहयोग के क्षेत्रों में (क) अनुसंधान, (ख) क्षेत्र अध्ययन, (ग) प्रलेखन, (घ) श्रव्य-दृश्य प्रलेखन, (ड.) फिल्म, (च) संगोष्ठी, (छ) प्रकाश, (ज) सम्मेलन, (ञ) प्रदर्शनी, (ट) कार्यशाला, (ठ) संरक्षण, (ड) अभिलेखागार, (ढ) संगीत समारोह/प्रस्तुति, और (ण) सहयोग का कोई अन्य संगत क्षेत्र भी शामिल है।

4. <u>सहयोग के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया</u>:

(i) सहयोग के लिए प्रस्तावित परियोजना/कार्यक्रम सामान्यत: संबंधित प्रभाग की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना का भाग होना चाहिए। लेकिन यदि यह उसका भाग नहीं है, परंतु उसे महत्वपूर्ण समझा जाता है तो सिद्धांत रूप में सदस्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकता है और मूल्यांकन आदि की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

(ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्थाओं/से संपर्क करेगा या उनसे ऐसे प्रस्ताव प्राप्त करेगा, जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के व्यापक दायित्वों के अंतर्गत आता हो।

(iii) सभी संबंधित विवरण परिशिष्ट-I में दी गई सहयोगी संस्थाओं/विद्वानों से प्राप्त किए जाएंगे।

(iv) यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से संबंधित प्रस्तावों का वित्तीय प्रभाव 10 लाख रुपए से कम हो तो इस प्रस्ताव का मूल्यांकन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की आंतरिक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति होंगे और उनमें संबंधित प्रभाग तथा अन्य संगत प्रभाग के कार्मिक भी होंगे। यदि आवश्यक समझा जाए तो बाह्य विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस सहयोग के लिए समन्वयकर्ता का नामांकन भी किया जाएगा।

(v) यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से संबंधित प्रस्तावों का वित्तीय प्रभाव 10 लाख रुपए से अधिक हो तो इस समिति में प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए और अपनी सिफारिशें देने के लिए ज्ञान के इस विशिष्ट क्षेत्र के कम से कम दो बाह्य विशेषज्ञ होंगे।

(vi) वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि इस समिति के स्थायी सदस्य होंगे।

(vii) सभी दृश्य-श्रव्य/ फिल्म प्रस्तावों के संबंध में मीडिया केंद्रों से परामर्श किया जाएगा।

(viii) इस समिति के गठन का अनुमोदन संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(ix) यह समिति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रसंग में इसकी सुसंगतता और संबंधित संस्थाओं/ विद्वानों की विशेषज्ञता दोनों दृष्टियों से इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और परिशिष्ट-II के अनुसार अपनी सिफारिशें देगी।

(x) समिति की सिफारिशों के संबंध में सदस्य सचिव के अनुमोदन के लिए फाइल प्रस्तुत की जाएगी। यदि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से संबंधित प्रस्तावों का

वित्तीय प्रभाव 50 लाख रुपए से अधिक हो तो उन प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए ईसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

5. <u>समझौता ज्ञापन</u>:

ऐसे व्यक्ति या संस्था के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया जाएगा जिसमें समन्वयकर्ता और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सभी कर्त्तव्यों और दायित्वों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। कॉपीराइट/ज्ञान आदि से संबंधित मुद्दों का समझौता ज्ञापन में उल्लेख किया जाएगा। समझौता ज्ञापन का फार्मेट परिशिष्ट-।।। पर संलग्न है।

6. <u>ईसी को सूचित करना</u>:

(i) सहयोग से संबंधित सभी प्रस्ताव, स्थायी कार्यसूची की मद के रूप में ईसी को उनकी सूचना के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ii) सहयोग के अंत में परियोजना से संबंधित रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें उससे हुई उपलब्धियां भी शामिल की जाएंगी।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. सभी विभागध्यक्ष, जिनमें दक्षिण क्षेत्र केंद्र, पूर्वी क्षेत्र केंद्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र केंद्र भी शामिल हैं।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी।
3. गार्ड फाइल।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:

1. सदस्य सचिव के निजी सचिव
2. संयुक्त सचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक

परिशिष्ट-।

सहयोग संबंधी प्रस्ताव के ब्योरे

1) संगठन/विद्वान का नाम

2) संगठन/सीवी का अधिदेश

3) उस विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र का अनुभव, जिसमें सहयोग प्रस्तावित है

4) प्रस्ताव के विवरणों में निम्नलिखित बातों को शामिल करना होगा:

- उद्देश्य
- उपलब्धियां (समय-सीमा से संबद्ध)
- अनुसंधान की प्रविधि
- संबंधित कार्मिकों का अनुभव
- कार्यान्वयन/कार्य योजना, जिसमें समय-सीमा भी शामिल है
- संबंधित लागत का विवरण
- कोई अन्य संगत सूचना

परिशिष्ट-।।

सहयोग की सिफारिश करने वाली समिति की बैठक के कार्यवृत्त

सिफारिशें, जिनमें निम्नलिखित प्रत्येक बिंदु शामिल है:

- प्रस्ताव - संक्षेप में ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के लिए प्रस्ताव की सुसंगतता।
- सहयोगी संस्था/ विद्वान की विशेषज्ञता, जिसमें पिछला अनुभव भी शामिल हो।
- कार्यान्वयन/ कार्य योजना, जिसमें समय-सीमा भी शामिल है।
- व्यापक बजट प्राक्कलन।
- उपलब्धियां और समय-सीमय।
- सहयोग से संबंधित कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए कोई अन्य सुझाव।

परिशिष्ट-III

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए), नई दिल्ली
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त न्यास)
और
..... (संस्था/ विद्वान का नाम)
के बीच समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, सी.वी. मेस, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (जिसे इसमें इसके बाद 'प्रथम पक्षकार/आईजीएनसीए' कहा जाएगा) जिसमें जब तक प्रसंग और अर्थ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक उसके अर्थ में और उसमें उसके निष्पादक, उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिती भी शामिल होंगे, एक पक्षकार होगा और ..... (सहयोगी संस्था/ विद्वान का नाम), जिसे इसमें इसके बाद 'द्वितीय पक्षकार' कहा जाएगा, जिसमें जब तक प्रसंग और अर्थ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक उसके अर्थ में और उसमें उसके निष्पादक, उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिती भी शामिल होंगे, दूसरा पक्षकार होगा।

2. प्रथम पक्षकार/ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

प्रथम पक्षकार अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) एक शैक्षिक अनुसंधान संस्था है। यह संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त न्यास है। इसे भारतीय कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान करने, प्रलेखन करने और उसका प्रसार करने का दायित्व सौंपा गया है।

2.1 सहयोगी प्रस्ताव में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हित में वास्तुविद और साहित्य से, संगीत, नृत्य, रंगमंच, मूर्तिकला, चित्रकला, फोटोग्राफी, फिल्म, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, कठपुतली, बुनाई, कसीदाकारी आदि से संबंधित विविध कलाओं के संबंध में सृजनात्मक और रचनात्मक संवाद के लिए मंच तैयार करना है। यह मंच प्रदर्शन, प्रदर्शनी, मल्टी मीडिया प्रोजेक्शंस, सम्मेलन, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से मुहैया कराया जाएगा और इससे विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा।

3. दूसरा पक्षकार

.....

.....

.....

(दूसरे पक्षकार अर्थात सहयोगी संस्था (विद्वान) का संक्षिप्त विवरण, जिसमें उनके कार्यक्षेत्र का भी उल्लेख किया जाएगा)।

4. संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और विद्वानों के साथ भी सहयोगी प्रस्ताव के व्यापक उद्देश्य

.....

.....

.....

.....

(सहयोग के दौरान किए जाने वाले अनुसंधान अध्ययनों/ प्रकाशनों/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ कार्यशालाओं/ प्रदर्शनियों या किसी अन्य समारोह का उल्लेख करें)

5. दायित्व/ उपलब्धियां/ समय-सीमा (दूसरा पक्षकार)

.....

.....

.....

.....

6. दायित्व/ उपलब्धियां/ समय-सीमा (पहला पक्षकार/ आईजीएनसीए)

.....

.....

.....

.....

7. पहले और दूसरे पक्षकार के संयुक्त उत्तरदायित्व

.....

.....

.....

8. पहले पक्षकार (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र) से संबंधित बजट प्रभाव, यदि कोई हों

9. दूसरे पक्षकार के बजट प्रभाव, यदि कोई हों

10. अदायगी की प्रक्रिया, अदायगी की अनुसूची और बैंक गारंटी, किस्तों को उपलब्धियों आदि से जोड़ना जैसी अन्य शर्तें।

11. **माध्यस्थम**

यदि कार्य-निष्पादन के दौरान कोई विवाद पैदा होता है तो यह मामला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त कम से कम संयुक्त सचिव के स्तर के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यस्तम अधिकारी को भेजा जाएगा।

12. **कॉपीराइट, यदि कोई हो**

अत: अब यह समझौता ज्ञापन उपर्युक्त दिन, माह और वर्ष को निम्नलिखित साक्षी (साक्षियों) की उपस्थिति में नई दिल्ली में निष्पादित किया गया और हस्ताक्षरित किया गया:

पहले पक्षकार (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र), सीवी मेस भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110001 के लिए और की ओर से	दूसरे पक्षकार के लिए और की ओर से
साक्षी	साक्षी